

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर
(केन्द्रीय नजारत अनुभाग)
नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु जनपद न्यायालय, गोरखपुर परिसर में स्थित चाय-पकौड़ी की दुकान सं०-4 (अभिलेखागार सिविल के पास) की नीलामी परिसर स्थित रामागार में दिनांक 11.07.2025 को सांयकाल 4:30 बजे होगी।

जिस किसी इच्छुक व्यक्ति को बोली बोलनी हो तो वह दिनांक 11.07.2025 तक नजारत अनुभाग में आकर 11:00 बजे से 1:00 बजे अपनी जमानत की धनराशि, जो मु० 32,000/- रुपये निर्धारित की गई है, जमा कर नीलामी में भाग ले सकता है।

नीलामी की नियम व शर्तें इस प्रकार हैं।

- 1- पिछले वर्ष के बकायेदार नीलामी में भाग लेने का हकदार नहीं होगा।
- 2- कोई भी अधिवक्ता अथवा उनके पारिवारिक सदस्य नीलामी में भाग लेने के हकदार नहीं होंगे।
- 3- नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को उक्त दुकान हेतु धरोहर धनराशि अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी जो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के ठेके की धनराशि की 10 प्रतिशत होगी।
- 4- नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र तथा निवास प्रमाण-पत्र एवं इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि उसके विरुद्ध न तो कोई आपराधिक मामला पंजीकृत हुआ है और न ही कोई मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है, अन्यथा उसे नीलामी में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा।
- 5- दुकान की नीलामी के पश्चात आवंटन दिनांक 31.03.2026 तक के लिये दिया जायेगा।
- 6- सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति को ही ठेका दिया जायेगा किन्तु जनपद न्यायाधीश, जो स्वीकृतिकर्ता अधिकारी है, को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी भी ठेके को निरस्त कर सकते हैं।
- 7- अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी की कार्यवाही समाप्त होने पर बोली गयी धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि तत्काल तथा शेष धनराशि त्रैमासिक आधार पर केन्द्रीय नजारत में जमा करनी होगी अन्यथा उसके पक्ष में नीलामी स्वतः समाप्त समझी जायेगी एवं व्यवसाय पर रोक लगाते हुये सम्पूर्ण जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी। किसी भी दशा में सम्पूर्ण धनराशि जमा किये जाने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जायेगा।
- 8- दुकान निश्चित किये गये स्थल पर ही होगी तथा प्रत्येक दुकानदार सामानों की बिक्री दुकान पर करेंगे। यदि कोई न्यायालय परिसर में घूम कर विक्रय करता पाया जायेगा तो उसकी नीलामी निरस्त कर दी जायेगी और उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी। राज्य सरकार के आदेशानुसार प्लास्टिक का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित है। यदि किसी भी दुकान पर प्लास्टिक के मग, प्लेट, गिलास आदि प्रयोग करते पाये गये तो दुकान की नीलामी तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी, नीलामी स्वीकार या अस्वीकृत करने का अन्तिम अधिकार बिना किसी कारण बताये माननीय जनपद न्यायाधीश को सुरक्षित होगा।
- 9- कोई भी ठेकेदार/व्यक्ति ठेके पर आवंटित दुकान पर पान-मसाला, तम्बाकू, खैनी, बीड़ी-सिगरेट व किसी अन्य नशीला पदार्थ की बिक्री नहीं करेगा और न दुकान के अन्दर व आसपास उक्त का प्रयोग करने देगा। यदि कोई भी दुकानदार उक्त सामग्रियों की बिक्री करते हुये अथवा कोई व्यक्ति दुकान के अन्दर अथवा आसपास प्रयोग किये जाते हुए पाया गया तो दुकानदार के विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
- 10- ठेकेदार द्वारा दुकान पर दर सूची बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
- 11- कोई भी ठेकेदार/व्यक्ति ठेके पर आवंटित दुकान जिस निमित्त आवंटित की गयी है, के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य या व्यापार के लिए उसका उपयोग नहीं करेगा।
- 12- वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी जिन दुकानदारों द्वारा दुकानें ठेके पर ली गयी थी और उनमें द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष की सम्पूर्ण धनराशि जमा की जा चुकी है, वह दुकानदार भी वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु नीलामी में भाग ले सकते हैं।
- 13- किसी ठेकेदार को स्थाई प्रकृति का निर्माण अथवा अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं होगा तथा तय दुकान उसकी ओर से अन्य किसी को किराये पर उठाने का भी अधिकार उसे नहीं होगा।
- 14- नीलामी में दुकान प्राप्त करने वाले बोलीदाता को निर्धारित स्थान पर अतिक्रमण करने पर उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा एवं उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

- 15- ठेकेदार को दुकान के आस-पास सफाई एवं कूड़ादान इत्यादि की व्यवस्था स्वयं अपने खर्च पर करनी होगी तथा गन्दगी पाये जाने पर उस पर अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा तथा उसका ठेका भी निरस्त कर दिया जायेगा।
- 16- ठेकेदार जो खाद्य एवं पेय सामग्री बिक्री करेंगे वह खाद्य अपमिश्रण एक्ट के मानकों के अनुरूप होगी तथा कोई भी ठेकेदार अपमिश्रित/मिलावटी खाद्य सामग्री एवं पेय का विक्रय नहीं करेगा।
- 17- वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर दुकानदार को खाली दुकान का कब्जा देना होगा अन्यथा वह प्रत्येक अतिरिक्त दिवस हेतु नीलामी राशि के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिकर राशि अदा करने का उत्तरदायी होगा व इसके अतिरिक्त भी वह विधि अनुसार बेदखल होने का पात्र होगा।
- 18- किसी भी ठेकेदार को न्यायालय द्वारा बिजली उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। नीलामी प्राप्त होने पर ठेकेदार द्वारा दुकान में अपने व्यय पर बिजली कनेक्शन एवं मीटर लगाना होगा एवं बिजली बिल का भुगतान बिजली विभाग को स्वयं करना होगा तथा दुकान खोली कर वापस कब्जा प्रदान करते समय यह सूचना देनी होगी कि उसके द्वारा बिजली के समस्त बकाया बिलों का भुगतान किया जा चुका है।
- 19- यदि कोई दुकानदार किसी अवैद्य गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उसका आवंटन निरस्त करते हुये उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

(सौरभ सिंह)

सदस्य

नीलामी समिति/
अपर सिविल जज (सी0डि0)
कोर्ट सं0-03, गोरखपुर

(विजय बहादुर यादव)

सदस्य

नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट)
गोरखपुर

(उमेश चन्द्र पाण्डेय)

अध्यक्ष

नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश(अ.जा./ज.जा.अधि.)
गोरखपुर